UPLP010015082026

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश लखीमपुर–खीरी।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–94/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–783/2026

1–शरद आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र रामआधार नि0ग्राम अहमद नगर थाना हैदराबाद जिला खीरी।
2–आलोक आयु लगभग 19 वर्ष पुत्र रामआधार नि0ग्राम अहमद नगर थाना हैदराबाद जिला खीरी।

———————— अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ———————— अभियोजन।

मु0अ0सं0–03/2024
धारा–323,324,504,506 भा0दं0सं0
3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0एक्ट
थाना–हैदराबाद, जिला–खीरी।

दिनांक 09.03.26

प्रार्थी/अभियुक्त शरद एंव आलोक की ओर से थाना–हैदराबाद, जिला खीरी के अ0सं0–03/2024,धारा–323,324,504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में उपरोक्त जमानत प्रा0पत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी शरद आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुनवाई के समय **प्रार्थी/अभियुक्त आलोक** का आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र एंव जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल नही दिये जाने का अंकन किया गया। अतः प्रार्थी/अभियुक्त आलोक का आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र एंव जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल नही दिये जाने के कारण निरस्त किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त शरद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रा0 पत्र एवं शपथपत्र तथा अन्य प्रपत्रों को संदर्भित करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी निर्दोष है, उन्होनें कोई अपराध नहीं किया है। उसे रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नही की गयी है। प्रार्थी ने किसी के साथ कोई मारपीट नही की न ही गाली गलौज किया न ही जातिसूचक गालियां दी न ही लाठी डन्डों से मारा पीटा है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथी अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, अतः अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

वादी मुकदमा/अभियुक्त पर नोटिस प्रेषित किये जाने पर सम्बन्धित थाने से नोटिस का तामीला अमल में लाया गया नोटिस का तामीला जरिये वारिस कराया गया तथा तारीख पेशी से अवगत कराया गया, के बाबत आख्या प्राप्त है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रा0पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक

01–01–2024 को समय शाम करीब 07.00 बजे वादी मुकदमा को लाठी डन्डों व हंसिया से मारा पीटा, जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को लाठी डन्डों व हंसिया से मारने पीटने व जातिसूचक गालियां व धमकी दिये जाने का आरोप है। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण के वादी मुकदमा व सहअभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। पत्रावली में संलग्न मजरूब की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में साधारण प्रकृति की चोटें आने का अंकन है। अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नही किया गया है। अभियोजन द्वारा इस स्तर पर अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त शरद आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Satender kumar Antil vs Central Bureau OF Investigation (2022) 10, SCC 51** को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त पर कथित अपराध 7 वर्ष से कम की सजा से दंडनीय होना पाते हुये प्रकरण के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शरद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा *कि0मिस0 एप्लीकेशन अं0धारा 528 बी0एन0एस0एस0 संख्या 6400/2025 श्रीमती बच्छी देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश/निर्णय दिनांकित 12.08.2025 के अनुपालन में* प्रार्थी/अभियुक्त मु0 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय–

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगां।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतिओं के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किये जायेंगे।

दिनांक 09–03–2026

(राजेश्वरी टोलिया)
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर खीरी।
JO CODE No. UP6162

Digitally signed by RAJESHWARI TOLIA
Date: 2026.03.09 23:18:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court